

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.13(155)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / डब्ल्यूडीटी / 2015 / 5678-5726 दिनांक : 13/04/2016

परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद - समस्त

विषय :- आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत जलग्रहण विकास दल सदस्यों के भुगतान के
कम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय को विभिन्न स्तर से जलग्रहण विकास दल सदस्यों के भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जलग्रहण विकास दल सदस्यों का भुगतान प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से उनके द्वारा परियोजना अन्तर्गत की गई भौतिक/वित्तीय प्रगति के समानुपातिक रूप से भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये थे।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 (31.03.2016) तक नियोजित किये गये जलग्रहण विकास दल सदस्यों का लम्बित भुगतान नियमानुसार किया जावे।


(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.13(155)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / डब्ल्यूडीटी / 2015 / 5678-5726 दिनांक : 13/04/2016
प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/आईडब्ल्यूएमपी), निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
4. उप निदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
5. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्रांक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।


अतिरिक्त निदेशक
(आईडब्ल्यूएमपी)